	YON ROLENE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF	ION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998  J.M.F.C., Gohad, DIST. Bhind (MP)
Case No	Complaint or report madeon
Name and address of the Complainant	
ુ- ગુન્હા	977-9-1129
्रिक्ट विश्वमा अर्था	TIT-CA SINGE
कारिक सिवह पाव	277 2 311 2
Name , parer	ntage,caste and address of accused
Di amail (S	10 3/2011/9 05210TE P10
	화장 뭐 되었다. 그리는 말이 하는 그 전에 가져가 했다.
Wenzis 5	
The offence, complain	nant of, and date of, its alleged commission
आप पर आराप	है कि दिनांक
3187 Novy S.	है कि दिनांक
	करते हुये मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे
	일본 시작을 들어 가득했다. 하는데, 그들은 바로 하는 것을 하는데 없다.
जो कि धारा 34-3 पुलिस अधिनियम के	
क्या आपको उक्त	ा अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
	25 965 B-HO
	शायिक मुजिस्ट प्रथम श्रण
The plea of the	e accused and his examination (if any)
EATTE	
$\alpha$ –	(12-
- Toll	र महिला गिरा
$\mathbf{O}(\mathbf{C}^{\prime})$	भारता मिलान्ते न प्रशास के प्र

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

## //निर्णय// (आज दिनांक 25.3/17 को घोषित)

01. <u>अ</u>भियुक्त के विरूद्ध धारा <u>अभियुक्त</u> के विरूद्ध धारा <u>पुलेस अधिनियम के तहत</u> समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।

02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 34–3 पुलिस अधिनियम के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है।

03. अभियुक्त को धारा 34-3 पुलिस अधिनियम के तहत रूपये र्र्िशब्दों में हिंदि के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर ...... का साधारण काराबास की सजा भुगतायी जावे।

04. 😱 जप्तषुदा सम्पत्ति कुछ नहीं ।

मेरे निर्देशन पर टंकित

्रें व्हासति। देश चायिक मजिस्टेंट प्रथम श्रणी कोरट जिला दिलाड प्राण